

प्रेषक,

लहरी यादव,
बजट अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
प्रांतीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 26 दिसम्बर, 2007

विशय:- डी.डी.ओ. कोड आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-बी-1-4733/दस-53/98, दिनांक 17 अक्टूबर, 1998 द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में युवा कल्याण विभाग के कार्यालयों हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को आहरण वितरण अधिकारी नामित करते हुए डी.डी.ओ. कोड संख्या-2289 आवंटित किया गया था। प्रशासकीय विभाग के प्रस्तावानुसार उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 1998 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में युवा कल्याण विभाग के कार्यालयों हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के स्थान पर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी को आहरण वितरण अधिकारी नामित करते हुए डी.डी.ओ. कोड संख्या-2289 आवंटित किया जाता है।

उपर्युक्त आहरण वितरण अधिकारी उनसे सम्बन्धित कोषागार से आहरण एवं वितरण का कार्य सुनिश्चित करेंगे।

उपरिअंकित शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 1998 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(लहरी यादव)
बजट अधिकारी।

संख्या-बी-1-4844 (1)/दस-2005, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, युवा कल्याण विभाग।
- 3 समस्त जिलाधिकारी।
- 4 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उ प्र, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6 समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7 युवा कल्याण अनुभाग
- 8 समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी।
- 9 विभागीय आदेश पत्रावली।

आज्ञा से

(लहरी यादव)
बजट अधिकारी।